राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **153/2011**

दुर्गाराम पुत्र श्योपाल उम्र 62 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

............वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं राज0
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. उमराव पुत्र भादर उम्र 68 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
4. ख्यालीराम पुत्र श्योपाल उम्र 62 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
5. जयचन्द पुत्र श्योपाल उम्र 62 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
6. मोतीराम पुत्र श्योपाल उम्र 55 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**

6/1. धोली पत्नी स्व. मोतीराम उम्र 53 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

6/2. श्रीमती भोला देवी पुत्री स्व. मोतीराम पत्नी जयदयाल उम्र 30 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 हाल निवासी नांगल दर्गु ढ़ाणी सादा नांगल चौधरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

6/3. महेन्द्र पुत्र स्व. मोतीराम उम्र 27 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

6/4. श्रीमती टीका पुत्री स्व. मोतीराम पत्नी शेरसिंह उम्र 25 वर्ष जाति गूर्जर निवासी नांगल दर्गु नांगल चौधरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

6/5. मुकेश पुत्र स्व. मोतीराम उम्र 23 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

6/6. ढाबू पुत्र स्व. मोतीराम उम्र 21 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

7. रोहिताश पुत्र श्योपाल उम्र 53 वर्ष जाति गूर्जर निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारीलाल सैनी अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री वियज सिंह कसाणा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से
3. श्री नागरमल अवाना अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

दावा – घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजस्व वाद नं. 153/2011
उनवानी दुर्गाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य
निर्णय दिनांक 19-05-2022
GCMS NO. 2011/00700
दिनांक :-19-05-2022

-: निर्णय :-

वादी की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि दिनांक 10-01-1979 को ग्राम नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा 4 बिस्वा उसका पुराना कब्जा मानकर व भूमि गत खसरा नम्बर 1043 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पुराना कब्जा मानकर राजस्थान भू राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/रेगुलराईज) नियम 1970 के अनुसार उसके हक में नियमित कर दी व इस ही आदेश से प्रतिवादी संख्या 3 गत खसरा नम्बर 1070 में से 1 बीघा पुख्ता व गत खसरा नम्बर 1043 में से 2 बीघा 10 बिस्वा को उक्त प्रतिवादी संख्या 3 का पुराना कब्जा मानकर इस ही प्रकार नियमित (रेगुलराईल) कर दी थी व तब से वादी व उक्त उमराव (संयुक्त रूप से) अपने अपने कब्जे की व आवंटित भूमि को बतौर गैर खातेदार काश्त करते आ रहे है व उनका आपस में कोई विवाद भी नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के हक में आवंटित उपरोक्त भूमि गत खसरा नम्बर 1043 ग्राम नांगलिया गूर्जरवास के भू पैमाईश में हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर व भूमि गत खसरा नम्बर 1070 के हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.21 हेक्टेयर बने है। इस प्रकार कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर बनकर आये है। उक्त भू पैमाईश विभाग ने उपरोक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 259, 260, 1666/427, 263, 1631/263 को वादी व प्रतिवादी संख्या 3 उमराव की टीनेन्सी में दर्ज कर दिया व उनका हिस्सा राजस्व रिकार्ड में आवंटन आदेश दिनांक 10.01.1979 के अनुसार वादी के हक में 5 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 के हक में 3 बीघा 14 बिस्वा दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के हक में 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही आवंटित हुई थी। मगर उसके हक में 3 बीघा 14 बिस्वा गलत दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि का कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर अर्थात 9 बीघा 4 बिस्वा ही है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी संख्या 3 के हक में 4 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी जो आवंटन आदेश के विरूद्ध है व कुल रकबे के मिलान से भी अधिक है। भूमि गत खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कदीम से ही राजस्व रिकार्ड में बंजर भूमि दर्ज थी जिसके आधार पर उक्त भूमि का आवंटन वादी व प्रतिवादी सं. 3 के हक में हुआ था मगर भूपैमाईश विभाग ने भूमि गत खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बंजड़ को बारानी किस्म में न दर्ज कर व उक्त भूमि से बने नये ख.नं. 263 रकबा 1.19 हैक्टर व खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हैक्टर को बारानी किस्म में दर्ज न कर गैर मुमकिन चारागाह में दर्ज कर दिये जो, नितान्त अवैध्य है व बिना विधि के प्रावधानों के व तथ्यों के कर दिया उक्त भूमि कभी भी चारागाह की भूमि न ही रही व ना ही कोई आदेश किसी किश्म में किसी भी अधिकारी के व सक्षम न्यायालय के आदेश पारित भी नहीं हुये हैं। राजस्थान भू0 राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अनुसार आवंटन दिनांक 10.01.1979 से 10 वर्ष बाद अर्थात 10.01.1989 उक्त विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 3 नियमानुसार खातेदार टीनेन्ट बन गये उन्होने राजस्व कर्मचारियों के सम्मुख व प्रतिवादी सं. 2 के सम्मुख निवेदन भी किया कि उन्हे उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे व उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार दर्ज किया मगर भूमि ख.नं. 263 रकबा 1.19 हैक्टर व ख.नं. 1631/263 रकबा 0.12 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चारागाह दर्ज कर दिया गया इसलिये उन्होंने उनके हक में विवादास्पद भूमि को उनकी खातेदारी में दर्ज करने से मना कर दिया व यह कहा कि यह कार्य उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का हैं। विवादित भूमि ख.नं. 263 व 1631/263 ग्राम नांगलिया गुर्जरवास को रिकार्ड में गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करने [illegible] को अथवा राज्य सरकार व उसके अन्य किसी भी विभाग को नहीं था [illegible] इस प्रकार का कोई आदेश आज तक पारित हुआ है इसलिये [illegible] 1631/263 ग्राम नांगलिया गुर्जरवास के रिकार्ड में दर्ज [illegible] हटवाने का अधिकारी है व उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि ख.न. 259 रकबा 0.27, हैक्टर खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 [illegible] टर व खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हैक्टर व खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 हैक्टर ग्राम नांगलिया गुर्जरवास को वादी व प्रतिवादी सं. 3 के हक में खातेदारी के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसमें वादी का 5 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 3 का 3 बीघा 14 बिस्वा दर्ज करवाने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :-

(क) भूमि ग्राम नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी स्थित ख.नं. 263 रकबा 1.19 हैक्टर, ख.नं. 1631/263 रकबा 0.12 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन चारागाह हटाकर बारानी तृतीय दर्ज की जावे।

(ख) भूमि ख.नं. 263 रकबा 1.19 हैक्टर, ख.नं. 1631/263 रकबा 0.12 हैक्टर, ख.नं 1259 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.नं. 260 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.नं. 1666/427 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 हैक्टर ग्राम नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी को वादी व प्रतिवादी सं. 3 की खातेदारी में दर्ज किया जावे व गैर खातेदार की जगह खातेदारी दर्ज किया जावे जिसमें वादी का 5 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 3 के हक में 3 बीघा 10 बिश्वा दर्ज किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय पैरोकार ने दिनांक 12.01.2012 को जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नागंलिया गूर्जरवास स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर को वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज किया जावे व गैर खातेदार की जगह खातेदार दर्ज किया जावे एवं जिसमें वादी का 5 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 का 3 बीघा 10 बिस्वा दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1043 में 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 व 7 के पिता व 6/1 लगायत 6/6 के दादा व ससुर का पुराना कब्जा था व उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 व वादी का कब्जा है। वर्तमान में भी सभी का कब्जा काश्त है। वादी पढ़ा लिखा था इसलिये उसे ही पुरे परिवार ने कर्ता खान दान बना रखा था। परिवार के सभी कार्य वही करता था। इसलिये वादी ने धोखा धड़ी करके उपरोक्त भूमि को अपने नाम से रेगुलाईज करवा लिया जबकि कब्जा पूर्व से ही सामलाती था। वादी के नाम से गलत आवंटन किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर वादी अकेले की नहीं है बल्कि उक्त भूमि में वादी का सिर्फ 1/5 हिस्सा है व 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का है। क्योंकि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 259, 260, 1666/427, 263, 1631/263 किता 5 रकबा 2.28 हेक्टेयर में से 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का 4/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे क्योंकि उपरोक्त वर्णित भूमि उनको पिता से मिली है तथा उसी अनुसार काबिज है तथा मौके पर भी इसी अनुसार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नागंलिया गूजरवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 हेक्टेयर में से 1/5 हिस्सा का खातेदार वादी को एवं 4/5 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत 2065-2068 खाता संख्या 387, नकल जमाबन्दी संवत 2016-2019, 2032-2035 खाता संख्या 1, नकल जमाबन्दी संवत 2024-2027 खाता संख्या 314, नकल जमाबन्दी संवत 2028-31 खाता संख्या 339, नकल जमाबन्दी संवत 2020-2023 खाता संख्या......,नकल जमाबन्दी संवत 2032-2035 खाता संख्या 347, नकल गिरदावरी संवत

2012-15 खसरा नम्बर 1070, नकल नियमन आदेश दिनांक 10.01.1979, नकल मिसल बंदोबस्त संवत 1999 खसरा नम्बर 1070 व 1043 तथा मौखिक साक्ष्य में दुर्गाराम का शपथ पत्र पी.डब्लू-1 पेश किये गये। प्रतिवादी के द्वारा मौखिक साक्ष्य में रोहिताश का शपथ पत्र डी.डब्लू-1 पेश किया गया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी जाकर बतौर समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र, प्रतिदावा के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नागंलिया गूजरवास तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत 2020-2023 व 2024-2027 में खसरा नम्बर 1043 रकबा 32 बीघा कि किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा की किस्म बंजड़ चारागाह दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2028-2031 में खसरा नम्बर 1043/1 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा की किस्म बंजड़ चारागाह दर्ज रिकार्ड है। नकल आदेश दिनांक 10-01-1979 प्रतिलिपि क्रमांक 259/82 दिनांक 08.11.82 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां दर्ज मिसल संख्या एफ 7 (256) (501) नियमन/राज/(77) पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.1979 को ग्राम गोठड़ा बस स्टेण्ड पर बैठक का आयोजन कर ग्राम नागंलिया गूजरवास तहसील खेतड़ी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में व रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का वादी के पक्ष में तथा खसरा नम्बर 1043 में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में व रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी के पक्ष में सर्व सम्मति से नियमन किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व वादी के पक्ष में कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नियमन हुआ है। सन् 1979 के अनुसार विक्रम संवत 2036 बनती है। वादी या प्रतिवादी के द्वारा विक्रम संवत 2012 की जमाबन्दी पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। नियमन आदेश दिनांक 10.01.1979 के अनुसार जमाबन्दी संवत 2032-2035 ग्राम नागंलिया गूजरवास में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1043/1 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 3 को रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व वादी को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का गैर खातेदार दर्ज किया गया। गत खसरा नम्बर 1070 के नियमन का किसी अन्य जमाबन्दी में आदेश का अंकन नहीं पाया गया। ग्राम नागंलिया गूजरवास की मिसल हैकियत संवत 2043 के खाता संख्या 292 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर किस्म पहाड़, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म पहाड़, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर किस्म चारागाह व खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.54 हेक्टेयर किस्म पहाड़ कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 3 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का व वादी रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 3 व वादी के पक्ष में नियमन की गई भूमि का कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा बनता है जिसको हेक्टेयर में परिवर्तित करने पर रकबा 2.28 हेक्टेयर बनता है। खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम नागंलिया गूजरवास के अनुसार गत खसरा नम्बर 1043 से हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर व गत खसरा नम्बर 1070 से हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर व गत खसरा नम्बर 1070 मीन से हाल खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर निर्मित हुये है। उक्त का कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में [illegible] आ[illegible] सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 10.01.1979 के द्वारा राजकीय भूमि खसरा [illegible] 1070 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में [illegible] रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का वादी के पक्ष में तथा खसरा नम्बर 1043 में से [illegible] 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में व रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी के पक्ष में सर्व सम्मति से विधिवत नियमन हुई है। नकल नियमन आदेश दिनांक 02.12.1977 के अनुसार गत खसरा नम्बर 1970 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा की किस्म चारागाह न रहकर बंजड़ रही है। राजस्व ग्राम नागंलिया गूजरवास की जमाबन्दी संवत 2065-68 के खाता संख्या नया 387 के खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा

नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर में वादी का हिस्सा 5 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 3 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम नागंलिया गूजरवास से बने नये राजस्व ग्राम मेहाड़ा गूजरवास की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के हाल खाता संख्या 319 के हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर में वादी का हिस्सा 57/94 व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 37/94 दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का प्रतिदावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने व वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

-: आदेश :-

अतः प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का प्रतिदावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता। वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर हाल राजस्व ग्राम मेहाड़ा गूजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 259 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1666/427 रकबा 0.55 हेक्टेयर किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर में दर्ज वादी का हिस्सा 57/94 के स्थान पर 114/184 व प्रतिवादी संख्या 3 का दर्ज हिस्सा 37/94 के स्थान पर 70/184 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा खसरा नम्बर 263 रकबा 1.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1631/263 रकबा 0.12 हेक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन चारागाह से बारानी सोयम में परिवर्तित की जाकर उक्तानुसार बारानी सोयम का माल कायम करने व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए तहसीलदार खेतड़ी के यहां चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:34:21 IST
Reason: SelfAttested